न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
481/2018	दावा 88, 188 RTA	11.10.2018	29.03.2019

1. चन्द्रावती पत्नी स्व. सांवताराम
2. तुलसी पुत्री स्व. सांवताराम
3. दुर्गादत्त पुत्र स्व. सांवताराम

} जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. व धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की संयुक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर वाके रोही रामसरा तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके पूर्व खातेदार वादिनी संख्या 01 के पति व वादी संख्या 02 व 03 के पिता सांवताराम थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तरण संख्या 1563 दिनांक 13.07.2018 को दर्ज हुआ है। उक्त विरासतन इंतकाल में वादिनी संख्या 01 का नाम चन्द्रावती की जगह चन्द्रावली, वादी संख्या 02 का नाम तुलसी की तुलछी तथा वादी संख्या 03 का नाम दुर्गादत्त के स्थान पर दुर्गाराम त्रुटिवश दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रावली, तुलछी एवं दुर्गाराम का वास्तविक नाम क्रमशः चन्द्रावती, तुलसी व दुर्गादत्त है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिनका नाम अशुद्ध हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड के नाम में त्रुटि होने से वादीगण को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में सही नाम है। नामों में त्रुटि होने की वजह से वादीगण को सरकारी व गैर सरकारी योजनाएँ लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है। नाम संशोधन से किसी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा दिनांक 18.09.2018 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत् दिया तो उन्होंने नाम में संशोधन नहीं करने व दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से उन्हे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादगत भूमि रोही रामसरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बन्ध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 411 रोही रामसरा में खातेदार चन्द्रावली की जगह चन्द्रावती, खातेदार तुलछी की जगह तुलसी व खातेदार दुर्गाराम की जगह दुर्गादत्त संशोधित किये जाने का आदेश प्रतिवादी को फरमाया जावे व अनुसार दरजन्द राजस्व रिकॉर्ड कराया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये एवं जवाब हेतु समय चाहा। पैरोकार राज की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि दावा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर बाके रोही रामसरा में अंकित खातेदार चन्द्रावली पत्नी सांवताराम, तुलछी पुत्री सांवताराम व दुर्गाराम पुत्र सांवताराम के बारे में ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं उनके दस्तावेजों की जांच की गयी जिससे उक्त खातेदारों का नाम चन्द्रावली, तुलछी व दुर्गाराम की बजाय क्रमशः चन्द्रावती, तुलसी व दुर्गादत्त बताया गया उक्त तीनों खातेदार एक ही हैं। चन्द्रावली का सही नाम चन्द्रावती, तुलछी का सही नाम तुलसी व दुर्गाराम का सही नाम दुर्गादत्त है। अतः उक्त खातेदारों के नाम उपरोक्तानुसार सही किये जाने उचित हैं।

पैरोकार राज की ओर से इकबाल जवाब पेश होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई जिस पर वकील वादी ने निवेदन किया कि दावा पर पेश दस्तावेज को ही साक्ष्यवादी माना जावे तथा बहस सुनी जावे इसलिए साक्ष्यवादी बंद की जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान दावा में अंकित कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में वादीगण का नाम गलत अंकित चला आ रहा है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजों में उनका सही नाम अंकित है जिससे वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए उक्त खातेदारी भूमि में वादीगण का दस्तावेजी व सही नाम अंकित करवाने के लिये वादीगण ने यह दावा पेश किया है जिसमें पैरोकार राज ने इकबाल जवाब पेश कर वादीगण का सही नाम अंकित किया जाना उचित बताया है अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर बाके रोही रामसरा में चन्द्रावली के स्थान पर चन्द्रावती, तुलछी के स्थान पर तुलसी व दुर्गाराम के स्थान पर दुर्गादत्त अंकित करने आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम गलत अंकित है। यदि वादीगण का नाम सही रूप से अंकित किया जाता है तो राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अतः दावा स्वीकार किया जाना उचित है।

वकील वादीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2071 ग्राम रामसरा खसरा नम्बर 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर में वादीगण का नाम चन्द्रावली पत्नी सांवताराम, तुलछी पुत्री सांवताराम व दुर्गाराम पुत्र सांवताराम अंकित है। आधार कार्ड संख्या 738115601236 में चन्द्रावती पत्नी सांवताराम, आधार कार्ड संख्या 808209527071 में तुलसी पुत्री सांवताराम एवं आधार कार्ड संख्या 832362134219, राशन कार्ड संख्या 007054700367 व मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/570029 में दुर्गादत्त पुत्र सांवताराम अंकित है। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

गलत नामों को दस्तावेजी एवं सही नाम अंकित करवाने का अनुतोष चाहा है। पैरोकार राज ने वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना उचित बताया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का नाम चन्द्रावती की बजाय चन्द्रावली, तुलसी की बजाया तुलछी एवं दुर्गादत्त की बजाय दुर्गाराम दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेज उनके सही एवं वास्तविक नामों से बने हुये हैं जिससे वादीगण को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने राजस्व अभिलेख में अपने सही नाम दर्ज करवाने के लिये यह दावा पेश किया है। तहसीलदार, चूरू ने बाद जांच दावा स्वीकार किया जाना उचित बताया है तथा दावा के पेश दस्तावेजात से वादीगण के दावा में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर वाके रोही रामसरा तहसील चूरू की भूमि में दर्ज खातेदार चन्द्रावली के स्थान पर चन्द्रावती, तुलछी के स्थान पर तुलसी व दुर्गाराम के स्थान पर दुर्गादत्त को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. चन्द्रावती पत्नी स्व. सांवताराम
2. तुलसी पुत्री स्व. सांवताराम
3. दुर्गादत्त पुत्र स्व. सांवताराम

} जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. व धारा 136 एलआर एक्ट
मुकदमा नं. 481 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 411 तादादी 10.7748 हैक्टेयर वाके रोही रामसरा तहसील चूरू की भूमि में दर्ज खातेदार चन्द्रावली के स्थान पर चन्द्रावती, तुलछी के स्थान पर तुलसी व दुर्गाराम के स्थान पर दुर्गादत्त को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह मार्च सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू